अपील सूचना अधिकार संख्या 118/2016 अनवानी बली मोहम्मद पुत्र सरदार अली निवासी वार्ड न. 18 मण्डी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2016 के द्वारा प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

1. पुलिस थाना सूरतगढ सदर के द्वारा शेरू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र सोहने खां साकिन ढाबा झलार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 110 के अन्तर्गत श्रीमान एसडीएम साहब सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के समक्ष (1) दिनांक 03.11.2009 (मि0न. 117/09) (2) दिनांक 28.02.2011 (3) दिनांक 09.01.2012 (4) दिनांक 23.02.2013 को पेश किये गये इस्तगासो के प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाई जाए।
2. पुलिस थाना सूरतगढ सदर के द्वारा शेरू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र सोहने खां साकिन ढाबा झलार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 110 के अन्तर्गत श्रीमान तहसीलदार साहब सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के समक्ष (1) दिनांक 24.07.2014 (2) दिनांक 27.07.2015 को पेश किये गये इस्तगासो कि प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई जाए।
3. पुलिस थाना सूरतगढ सदर के द्वारा शेरू खां उर्फ शेर मोहम्मद पुत्र सोंहने खां साकिन ढाबा झलार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 122 के अन्तर्गत श्रीमान तहसीलदार साहब सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के समक्ष दिनांक 15.02.2014 को पेश किये गये इस्तगासे कि प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है जो उसे तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 122 दिनांक 29.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 12.05.16 को प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना पत्र सं0 66 दिनांक 27.05.16 द्वारा प्रार्थी को दी जा चुकी है।

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा पत्र सं0 66 दिनांक 22.05.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रसंगिक प्रार्थना पत्र द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई रिकार्ड की प्रतियों में आप द्वारा अंकित तिथियों एवं पत्रावली की तिथियों में अन्तर है। अतः आप कार्यालय में कार्य दिवस व समय के दौरान उपस्थित आकर निर्धारित फीस जमा करवाकर नकलें प्राप्त कर लेवें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में अंकित तिथियों व लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध रिकार्ड में अन्तर होने के कारण अपीलार्थी को उनके कार्यालय में कार्य दिवस व समय के दौरान उपस्थित आकर निर्धारित फीस जमा करवाकर नकलें प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को चाहिए था कि वह लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में संबंधित रिकार्ड से जो सूचना प्राप्त करना चाहते है, वह प्राप्त करते। किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही किया गया है। अतः अपील खारिज करने योग्य है।

सा०/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सूरतगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर